राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी :– श्री हवाई सिंह यादव आर. ए. एस.)

सुभाषचंद बनाम शकुंतला वगै0

मुकदमा नं. : 17 / 2022

निर्णय दिनांक : 10.09.2024

सुभाष पन्द्र पुत्र सांवलराम उम्र 54 सात जाति माली निवासी नीम वाली ढाणी अशोक नगर बगड तहसील व जिला झुंझुनूं ।

वादी

बनाम

1– श्रीमती शकुन्तला देवी उम्र 60 साल पत्नी शेरसिह जाति माली निवासी खुडाना तहसील चिडावा जिला झुंझुनूं ।

2– राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार झुंझुनूं ।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकॉर्ड

निर्णय

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। वाद वादीगण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि हैं कि वाके ग्राम नीम वाली ढाणी अशोक नगर तन बगड पटवार हल्का माखर तहसील व जिला झुझुनु मे भुमि गत खसरा नम्बर 1254 रकबा 2 बिया 14 विश्वा व खसरा नम्बर 1248 रकबा 2 विघा 15 विश्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 438 रकबा 0.6800 हैक्टर खसरा नम्बर 451 रकबा 0.7000 हैक्टर कुल किता 2 , कुल रकबा 1.3800 हैक्टर स्थित है । जिस पर वादी व प्रतिवादी अपने–अपने हक हिस्से के अनुसार काबिज है । य जमीन जैर बहस के खातेदार काश्तकार सावलराम थे और सावंलराम को देहांत हो जाने के बाद राजस्व रिकार्ड सावंलराम की पत्नी तीजा देवो के नाम दर्ज हो गया । उक्त सावल राम व तीजा देवी के पुत्री संतान ही थी ।,और पुत्र सन्तान नही थी और पुत्र सन्तान ही कोई आशा नही होने के कारण उक्त तीजा देवी ने अपनी पुत्री मनोहरी देवी पत्नी मलनी निपाती इस्लामपुर, के पुत्र सुभाष वादी को बतौर गोद का पुत्र मानकर अपने घर से गयी और उस समय वादी की उम्र मात्र 6 माह हो थी । जिसका पालन– पाषण और समस्त प्रकार की जिम्मेदारीयों का निर्वहन उक्त तीजा देवी बतौर पुत्र किया । वादी की उम्र करीब 15 साल हुई थी तब उक्त जमीन जैर बहस का दान पत्र दिनांक 12–2–1980 दो उक्त तीजा देवी द्वारा वादी के पक्ष में उप पजियक झुंझुनूं के यहां करवा दिया गया । उक्त दान पत्र पुस्तक संख्या 46 व 115 है । उक्त तीजा देवी ने जमीन जैर बहस का कब्जा वादी को सौप दिया। । इस प्रकार ते वादी जमीन जैर बहस पर दान पत्र के आधार पर काबिज काश्त चला आ रहा है। अध्यार काय करत रहा है और बावनी कब्जा करत पक्षा जा रहा है।वादी को अपने घरेलू जायज जरूरतों को पुरा करने के लिए रूपयों की जरूरत होने पर अपनी सहमती से उक्त भूमि का बेचान विकय पत्र प्रतिवादिया न0 01 के नाम 0.69 हैक्टर भूमि के कर दिया । वादी ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति था। भूमि पर कब्जा काश्त होने के कारण दान पत्र दिनांकित 12.02.1980 का राजस्व रिकार्ड में अपने नाम से दर्ज नही करवाया । अब उक्त तीजा देवी का देहानत हो चुका है। वादी द्वारा उक्त दान पत्र के आधार पर उक्त वादग्रसत भूमि को राजस्व रिकार्ड में अपने नाम से दर्ज करवाने लिए तहसीलदार झुंझुनूं से दिनांक 05.01.2022 को सम्पर्क किया तों तहसीलदार द्वारा कहा गया

उपखण्ड अधिकारी
(राज.)

Scanned with OKEN Scanner

कि उक्त दान पत्र के आधार पर सक्षम न्यायालय में दावा करने पर ही दर्ज हो सकता है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाके ग्राम (नीम वाली ढाणी) अशोक नगर पटवार हल्का माखर तहसील व जिला झुंझुनूं स्थित भूमि गत ख.न. 1248 व 1254 के हाल ख.न. 438 रकबा 0.68 हैक्टर व ख.न. 451 रकबा 0.70 हैक्टर कुल किता 02 रकबा 1.38 हैक्टर भूमि में कब्जा काश्त व दान पत्र दिनांक 07.02.1980 व पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 12.02.1980 के आधार पर वादी एवं प्रतिवादी को कब्जे काश्त के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इसी अनुसार बंटवारा किये जाने का निवेदन किया ।

उक्तानुसार वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस प्रतिवादी गण को तलब किया गया । प्रतिवादी न0 01 की ओर से वाद के अनुरूप इकबालिया जबाब दावा पेश कर निवेदन किया गया कि वादी को भूमि ख.न. 451 रकबा 0.70 हैक्टर एवं प्रतिवादी न0 01 को भूमि ख.न. 438 रकबा 0.68 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने का निवेदन किया ।

उभय पक्षकारान वकीलगण द्वारा दौराने बहस वाद के अनुरूप डिक्री किये जाने का निवेदन किया ।

प्रश्तगत वाद प्रकरण में वादी पक्ष की ओर से पेश दस्तावेज दान पत्र दिनांक 07.02.1980 एंव पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 12.02.1980 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी खातेदार काश्तकार है। अतः उक्त दान पत्र एवं विक्रय पत्र की तायद में वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोंचित है। अतः

–: निर्णय :–

वाद वादी स्वीकार कर वाके ग्राम अशोक नगर पटवार हल्का माखर के भूमि ख.न. 451 रकबा 0.70 हैक्टर में वादी को एवं भूमि ख.न. 438 रकबा 0.68 हेक्टर में प्रतिवादी संख्या 01 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर अलग अलग खाता विभाजन के आदेश दिये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.09.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(हवाई सिंह यादव) 10/9/24
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

Scanned with OKEN Scanner